न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 1/694/2015 दायर दिनांक:– 06/11/2015

जीसीएमएस नं0:–2015/00069 निर्णय दिनांक:– 19/06/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

बउनवान

1 भजन पुत्र शोभाराम जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई
2 नन्दकिशोर पुत्र किरोडी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई
3 शिवनारायण पुत्र हीरा जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई
4 प्रेमसिह पुत्र हरी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई
5 भागमल दत्तक पुत्र प्यारे जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई
6 रामदयाल पुत्र धूडी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई
7 भंवर पुत्र धूडी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई
8 खेमसिंह पुत्र धूडी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई
9 सुन्दर पुत्र नारायण जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई
तहसील कठूमर जिला अलवर

------वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर बहे0 प्रतिनिधि राज0 राज्य
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर

------ प्रतिवादीगण

दावा इस्तकारारहक मशवरे अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–

उपस्थिति:–1.श्री सुभाष चन्द्र अरूवा अधिवक्ता – वादीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर

19-6-24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

—:निर्णय:—

संक्षिप्त तथ्य वाद वादीगण इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.04 हैक्ट0 1951 रकबा 1.53 हैक्ट0 ग्राम तसई बी तहसील कठूमर में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 1445 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1446 मिन रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1447 मिन रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा है जिसमें से साबिक खसरा नम्बर 1445 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादीगण ने दावा के पैरा सं0 3 में पारिवारिक सजरा अंकित किया है। वादीगण छोटे पुत्र हुकमा, धूडी नारायण पुत्रान गिरवर के जायज वारिसान है जो वारिसान काबिज जायदाद है तथा विवादित आराजी वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्ग छोटे पुत्र हुकमा, धूडी नारायण पुत्रान गिरवर के तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो विरासत में हम वादीगण को प्राप्त हुई है लेकिन अमला सैटलमेंण्ट के अधिकारी व कर्मचारियान ने बिना किसी हक व अधिकार के बिना मौके एंव कब्जे की जांच किये बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के हाल खसरा नम्बर 1950, को जल मग्न गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 1951 को गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया जिसमें वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 1445 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को मिला दिया। अमला सैटलमेंण्ट को ऐसा करने का अधिकार नहीं था, अमला सैटलमेण्ट को तो पूर्व इन्द्राज ही रिपीट करने चाहिए थो उक्त इन्द्राज वादीगण के हक हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है तथा कलमजन फरमाये जाने योग्य है। वादीगण विवादित आराजी के काबिज कृषक खातेदार है तथा खातेदारी प्राप्त करने के मुश्तहक है। प्रतिवादीगण व इनके मातहत कर्मचारियान ने इन्द्राज दुरूस्त करने को मना कर दिया, तब वादीगण ने अपने अधिवक्ता से कानूनी प्रावधानों के तहत धारा 80 जा0दी0 का नोटिस मियादी 60 दिवस रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा भिजवाया लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी दर्ज नहीं की। अतः वादीगण ने उक्त आराजी की खातेदारी की घोषणा कराने व दावा वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने हाजिर

अदालत होकर जवाब दावा पेश कर विवादित आराजी के तमाम साबिक रेवन्यु रिकार्ड में गै0मु0 आबादी व चाह दर्ज है। भूमि जलमग्न व गै0मु0 आबादी होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित नही नहीं है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण पैराकार सरकार के जवाब के आधार पर दावा में निम्नलिखित 4 तनकीयाँ कायम की गयी–

तनकी संख्याः–1 आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 1950, 1951 वाके ग्राम तसई बी में से रकबा 0.40 हैक्ट0 के काबिज कृषक खातेदार है तथा खातेदारी प्राप्त करने के मुस्तहक है– —जिम्मे वादीगण

तनकी संख्याः–2 आया वादीगण प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है– —जिम्मे वादीगण

तनकी संख्याः–3 आया विवादित आराजी जलमग्न एंव गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है इसलिए वादीगण को खातेदारी दिया जाना उचित नहीं है –

— जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्याः–4– अनुतोष

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 किता 2, प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संवत् 2010 जमाबन्दी किता 5 प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी संवत् 2017 किता 4 प्रदर्श–5 नकल नोटिस धारा 80 जा0दी0 प्रदर्श–6 रसीद रजि0 ए डी प्रदर्श– 7 ए डी तहसीलदार कठूमर पेश किये है। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू 1 सुन्दरलाल, परसादी पी डब्ल्यू–2, जतनसिंह पी डब्ल्यू–3 व महेन्द्र कुमार के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है।

उभयपक्ष बहस सुनी गयी। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तनकी वार निर्णय इस प्रकार किया जाता है:–

तनकी संख्या 1 व 2– को साबित करने का भार वादीगण पर है दोनों तनकियां समान प्रकृति की है जिन्हें एक ही निर्णय के साथ निर्णीत किया जा रहा है

19.6.14
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियान व अधिकारियान ने बिना अधिकार के खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.04 हैक्ट0 को जल मग्न गै0मु0 चाह व खसरा नम्बर 1951 रकबा 1.53 हैक्ट को गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया है जिसमें वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 1445 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को मिला दिया है बन्दोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही रिपीट कर साबिक रेवन्यु रिकार्ड के अनुसार वादीगण की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। पत्रावली पर आई मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादीगण साबित है जो मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे। विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान तर्क दिया कि विवादित आराजी हमेशा से गै0मु0 आबादी व जलमग्न चाह दर्ज रही है जिसकी वादीगण को खातेदारी नहीं दी जा सकती। वाद वादीगण खारिज किया जावे।

पत्रावली के तथ्यों व पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादीगण व विद्वान पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। विवादित आराजी के साबिक राजस्व रिकार्ड से वादीगण को अपना दावा साबित करना था, लेकिन वादीगण द्वारा अपने दावा को साबित करने के लिये ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह माना जावे कि विवादित आराजी को बन्दोबस्त विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 1445 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में मिला दिया हो। वादीगण द्वारा केवल मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा नहीं माना जा सकता। चूँकि विवादित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में जलमग्न गै0मु0 चाह व गै0मु0 आबादी दर्ज है। वादीगण को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का भी अधिकार नहीं रखते है। उक्त आराजी पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तनकी संख्या 1 व 2 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

<u>**तनकी संख्या 3–**</u> को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। विवादित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 चाह व जलमग्न तथा गै0मु0 आबादी दर्ज है। ऐसी आराजी पर खातेदारी दिया जाना कानूनन वर्जित है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

19.6.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

चूँकि तीनों तनकियां विरूद्व वादीगण तय की गयी है इस वजह से दावा वादीगण साबित ना होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः वाद वादीगण आराजी खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.04 हैक्ट0 व खसरा नम्बर 1951 रकबा 1.53 हैक्ट0 वाके ग्राम तसई बी तहसील कठूमर अंतर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 का साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.6.24

सुखराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

राजस्व वाद संख्याः— 1/694/2015 दायर दिनांकः— 06/11/2015

जीसीएमएस नं0:—2015/00069 निर्णय दिनांकः— 19/06/2024

बउनवान

1 भजन पुत्र शोभाराम जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई

2 नन्दकिशोर पुत्र किरोडी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई

3 शिवनारायण पुत्र हीरा जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई

4 प्रेमसिह पुत्र हरी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई

5 भागमल दत्तक पुत्र प्यारे जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई

6 रामदयाल पुत्र धूडी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई

7 भंवर पुत्र धूडी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई

8 खेमसिंह पुत्र धूडी जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई

9 सुन्दर पुत्र नारायण जाति माली निवासी रामपुरा तन तसई

तहसील कठूमर जिला अलवर

——————डिक्रीदारान्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर बहे0 प्रतिनिधि राज0 राज्य

2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर

—————— मदयूनान्

दावा इस्तकाराहक मशवरे अन्तर्गत धारा—88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955—

अतः वाद वादीगण आराजी खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.04 हैक्ट0 व खसरा नम्बर 1951 रकबा 1.53 हैक्ट0 वाके ग्राम तसई बी तहसील कठूमर

19-6-24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 का साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 14.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

19.6.24

सुखराम पिण्डेल(आर ए एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०